

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं0-पि0व0/गैर योजना-45-02/2014-

प्रेषक,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक-

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास भवन, जहानाबाद के विद्युतीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा रू0 13,21,493 (रू0 तेरह लाख ईक्कीस हजार चार सौ तिरानवे) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-1. अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास भवन, जहानाबाद के विद्युतीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा रू0 13,21,493 (रू0 तेरह लाख ईक्कीस हजार चार सौ तिरानवे) मात्र की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. स्वीकृति राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत मांग सं0-03 के तहत बजट शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-051-निर्माण उप शीर्ष-0118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड-03-4059.80.051.0118 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी वित्त विभाग पत्रांक:-8244 दिनांक-02.08.10 के आलोक में निकासी की कारवाई करेंगे।

5. भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं समय सीमा के अन्दर जीर्णोद्धार कार्य पूरा करा लिया जायेगा।

6. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

P.T.O


ज्ञापांक- पि0व0/गैर योजना-45-02/2014- 23 पटना, दिनांक- 15/03/18
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को
सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

4. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त/
संबंधित उप निदेशक कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला के कार्यपालक
अभियंता, भवन निर्माण विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


14.3.18
सरकार के सचिव।